
प्रेस नोट/सराहनीय कार्य- *(पत्रांक-69/2025 दिनांक 10.03.2025)* *दिनांक-10.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में अवैध शराब निष्कर्षण/बिक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 10.03.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत, पुलिस द्वारा कई स्थानों पर चेकिंग व छापेमारी कर अवैध शराब को बरामद तथा अवैध लहन को मौके पर ही नष्ट किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

सर्किल तमकुहीराज

- *थाना पटहेरवा* पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक अभियुक्त सूरज बासफोस पुत्र लालबहादुर सा0 पंच देवरी थाना कटया जनपद गोपालगंज बिहार को गिफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल BR28AC4454 व 90 अदद लैला अवैध देशी शराब की बरादमगी की गयी। बरादमगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 59/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
- *थाना सेवरही* पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को 03 अभियुक्तों 1.शहादत उर्फ पंडित पुत्र गुलाब सा0 वार्ड नं0 14 इला रामचौक थाना टाउन जनपद प0 चम्पारण बिहार, 2.धनेश पुत्र तुलसी सा0 रामपुर बरहन अलयर मिया टोला थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर व 3.तेरस पुत्र गेनहरी सा0 मंझारिया थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 114 टेट्रा पैक अवैध बंटी बबली देशी शराब की बरादमगी की गयी। बरादमगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 63/2025, 65/2025 व 66/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।



थाना चौराखास पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक अभियुक्त संतोष पुत्र बिहारी सा0 बनकटा बाजार थाना चौराखास को गिफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 40 पाउच बन्टी बबली अवैध देशी शराब की बरादमगी की गयी। बरादमगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 44/2025 धारा 60 आब0 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक अभियुक्त रामनाथ पुत्र ढेला सा0 कीरथपट्टी थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 30 पाउच बन्टी बबली अवैध देशी शराब की बरादमगी की गयी। बरादमगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0स0 58/2025 धारा 60 आब0 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।


सर्किल खड्डा

थाना नेबुआं नौरंगिया पुलिस द्वारा दिनांक 10.03.2025 को 02 नफर अभियुक्तों 1.रामधारी पुत्र विरझन सा0 सिसवा गोइती थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर 2. एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 अदद देशी बबली अवैध देशी शराब व 20 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 93/2025 व मु0अ0सं0 94/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा दिनांक 10.03.2025 को 02 अभियुक्तों 1.लाल बाबू साहनी पुत्र मोती चन्द्र साहनी सा0 मदनपुर वार्ड नं0 16 थाना नौरंगिया जनपद प0 चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 लीटर कच्ची व 22 अदद बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 30/2025, 31/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत की गयी है।

सर्किल कसया

थाना कसया पुलिस द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 लीटर



कच्ची अवैध शराब बरामद की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत की गयी है।

सर्किल सदर


थाना को0 पडरौना पुलिस द्वारा दिनांक 10.03.2025 को एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20 अदद बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 116/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत की गयी है।

थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.03.2025 को थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा 1. मु0नं0 38/2019 धारा 363/366 भादिव व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त किशोर चौहान पुत्र झक्कड चौहान निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर व 2. मु0नं0 14833/23 धारा 323/504/506 भादिव से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त जोखू पुत्र छट्ठू निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- मुँ0नं0 38/2019 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट
- 2. मु0न0 14833/23 धारा 323/504/506 भादवि0



गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1. किशोर चौहान पुत्र झक्कड चौहान निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 2. जोखू पुत्र छट्ठू निवासी रामपुर जंगल थाना हनुमानगंज जनपद कुंशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-


- 1. प्र0नि0 श्री मनीष कुमार पाण्डेय थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 2. उ0नि0 शमशेर यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 3. का0 रमेश .यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 4. का0 विकास यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर
- 5. का0 संजय कुमार यादव थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे आज दिनांक 10.03.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया टीम द्वारा मु0नं0 5298/2016 धारा 323/504/506/325 भादिव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त ओमप्रकाश यादव उर्फ रमजान पुत्र बाबुचन्द सािकन जंगल जगदीशपुर टोला भरपटिया थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 5298/2016 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर



गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश यादवं उर्फ रमजान पुत्र बाबुचन्द निवासी जंगल जगदीशपुर टोला भरपटिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री रामसहाय चौहान थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 गिरीजेश यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 वंशगोपाल शर्मा थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 38 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान-97 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-84, व्यक्ति-340
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(15)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-53)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

